

OperationConviction के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बहराइच द्वारा गम्भीर चोट कारित करने वाले अभियुक्तगणों को 02 वर्ष का कठोर कारावास तथा 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Daily News

#BahraichPoliceInNews 112
<https://linktr.ee/mediacellbahraich>

हिन्दू

चारकोदे-दोवर्षका सश्रम कारावास

बहराइच। एडीजीसी क्रिमिनल प्रमोद कुमार सिंह, कोर्ट मोहरीरि मुख्य सिपाही तारक नाथ मिश्रा, मोतीपुर थाने के पैरोकार अभिमन्यु कुमार की चुस्त पैरवी से 14 जून 2008 को खेत में जुलाई के दौरान बौडी थाने के शारदा सिंह पुरवा में लक्ष्मी नारायण पर हमले में नामजद इसी गांव निवासी पप्पू सिंह उर्फ दिनेश सिंह, फुलऊ उर्फ फूल सिंह पुत्र गण रामपाल सिंह, अन्नू पुत्र लाले सिंह, गीता सिंह पत्नी पप्पू सिंह को दोषसिद्ध पाए जाने पर दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास व डार्ड- डार्ड हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

एक महिला समेत चार को दो साल की सजा

बहराइच। थाना बौडी की पुलिस ने जमीन के विवाद में 14 जून 2008 को पप्पू सिंह, फुलऊ सिंह, अन्नू सिंह व गीता सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील प्रसाद की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान घटना में नामजद सभी अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्तों को डार्ड-डार्ड हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। (संवाद)

BAHRAICHPOLICE
 24/7 #BahraichPolice Social Media Cell #SPBahraich



CONVICTING THE CRIMINALS



Meticulous Investigation & Prosecution

बहराइच पुलिस

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के दृष्टिगत बहराइच पुलिस द्वारा की जा रही गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 28.10.2024 को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बहराइच द्वारा गम्भीर चोट कारित करने के आरोपियों को दण्डित किया गया।

विवरण निम्नवत है -

पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना बौण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 249/2008 धारा 325, 323 IPC के आरोप में अभियुक्त 1.पप्पू सिंह उर्फ दिनेश सिंह, 2.फुलऊ सिंह उर्फ फूल सिंह पुत्रगण रामपाल सिंह, 3.अन्नू सिंह पुत्री लाले सिंह व 4.गीता सिंह पत्नी पप्पू सिंह निवासीगण शारदा सिंह पुरवा थाना बौण्डी जनपद बहराइच प्रत्येक को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 2000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



श्री प्रमोद कुमार सिंह
 ए.डी.जी.सी.



हे0का0 तारक नाथ मिश्रा
 कोर्ट मोहरीरि



का0 अभिमन्यु कुमार
 पैरोकार